



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

प्रलिस के ललल:

[राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग](#)

मेन्स के ललल:

उभरती मानवाधिकार चुनौतललल, [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) की भूमकल और करल

[सरोत: द परटल](#)

करल में करल?

हल ही में **NHRC** ने **सीमलंत वरगु** के अधकरलरु की रकषल पर करल करने के ललल सभल सलत **राष्ट्रीय आयोगु** की एक बैटक बुललई, जसकल लकष्य सरोतुततम परथलरु को सललल करनल और करलरलनवन रणनीतललल पर सहयोग करनल थल ।

- इन सलत नकलरु में [राष्ट्रीय महलल आयोग \(NCW\)](#), [राष्ट्रीय अनुसूकतल जलतल आयोग \(NCSC\)](#), [राष्ट्रीय अनुसूकतल जनजलतल आयोग \(NCST\)](#), [राष्ट्रीय बल अधकरल संरकषण आयोग \(NCPCR\)](#), [राष्ट्रीय अलपसंख्यक आयोग \(NCM\)](#) और [राष्ट्रीय पठलडल वरग आयोग \(NCBC\)](#), [वकललंग वयकतललल के ललल मुख्य आयोग](#) शलमलल हल ।

मानवाधिकार आयोगु की संयुकुत बैटक के करल परणलम हल?

- परभलवी करलरलनवन हेतु संयुकुत रणनीतललल:**
 - NHRC ने मानवाधिकारु की रकषल के ललल मौजूदल कलनूनु और योजनलरु को **परभलवी ढंग** से ललगू करने के ललल **संयुकुत रणनीतललल (Joint Strategies)** तैयलर करने के ललल सभल सलत राष्ट्रीय आयोगु के बीच सहयोग की आवशुयकतल पर जुर दलल हल ।
 - NHRC ने **SC-ST समुवलरु, महललरु** और सलज के हलशल पर रहने वलले वरगु के ललल समतल और सम्मन सुनशलकतल करने हेतु एक-दूसरे के अनुभवु से सीखने के महतुत्व पर परकलश डललल हल ।
- सेप्टकल टैकु की यंतुरु दवलरल सफलई (Mechanical Cleaning):**
 - NHRC ने **सेप्टकल टैकु** की यंतुरु दवलरल सफलई के महतुत्व पर भी जुर दलल हल । रलजुतु तथा स्थलनीय नकलरु से इस मलमले पर **NHRC** की सललल कल पललन करने कल आग्रह कलल गल ।
- अनुसंधलन हेतु सहयोग:**
 - पररलसुं के दोहरलव से बकने के ललल** अनुसंधलन हेतु सभल आयोगु के बीच सहयोग की भलवनल हनी कलललल ।
 - NHRC** और **राष्ट्रीय महलल आयोग (NCW)** के बीच अनुसंधलन के सलमलन्य वषलरु पर परकलश डललल गल और महललरु के ललल संपतुतल के अधकरलरु में एकरूपतल सुनशलकतल करने के ललल रलजुतु वैधलनकल परलवधलनु की अनुकूलतल की आवशुयकतल पर जुर दलल गल ।
- शलकषल एवं परुदुयोगकल की कषेतरु में चुनौतललल:**
 - राष्ट्रीय अनुसूकतल जलतल आयोग (NCSC)** के अधकष ने **नई शकषल नीतल** और उभरती परुदुयोगकल कल सलमल ललभ ललगु तक सुनशलकतल करने की चुनौतल पर करल कल ।
 - उनुहुने इस बलत पर भी जुर दलल कल मलनसकलतल में बदललव सरलफ कलनून से नहु लललल जल सकतल बलुकल इसके लललभलवनल और **संवेदनशीलतल** की भी आवशुयकतल हती हल ।
 - SC और ST अधनलललम** के तहत मुलवलजे में वललंब पर परकलश डललल गल, सलथ ही सभल रलजुतु में पीडतल मुलवलजल योजनलरु की समीकषल करने की आवशुयकतल पर भी परकलश डललल गल ।
- बकुकु के अधकरलरु:**
 - राष्ट्रीय बल अधकरल संरकषण आयोग (NCPCR)** के अधकष ने बकुकु के अधकरलरु को सुनशलकतल करने में आयोग के सकरुय करलरु पर परकलश डललल ।
 - आयोग आठ पोर्टलु की नगरलनी कर रहल हल और एक ललख से अधकल **अनलथ बकुकु** कल पुनरुवलस सुनशलकतल कलल हल ।
 - इसने बल अधकरलरु की सुरकषल के ललल दशलल-नरुदेश और SOP भी जलरु कलल हल ।

- **राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)** के तहत बढ़े हुए मुआवज़े और नज़ी स्कूलों में बाल अधिकारों के उल्लंघन में हस्तक्षेप करने के राज्य के दायित्व पर भी ज़ोर दिया गया।
- **वकिलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:**
 - **वकिलांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त** ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 'दवियांगजनों' के बीच अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ संबंधित चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं।
 - उदाहरण: दृष्टिबाधितों को ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने के दौरान कैप्चा कोड की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
- **सहयोग का दायरा और संरचित दृष्टिकोण:**
 - इस बात पर सहमत व्यक्त की गई कि आयोगों के बीच सहयोग बढ़ाने और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये एक संरचित दृष्टिकोण की वकालत करने, संस्थागत बातचीत के मूल्य, सहयोगात्मक सलाह पर ज़ोर देने और तालमेल तथा दक्षता के लिये '**HRCNet पोर्टल**' का उपयोग करने की आवश्यकता है।
 - **HRCNet एक वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल है**, जो पीड़ित नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिये एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है?

- **परिचय:**
 - यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, यानी इसमें भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतरराष्ट्रीय अनुबंध तथा भारत में न्यायालयों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्तों के **जीवन, स्वतंत्रता**, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल हैं।
- **स्थापना:**
 - इसकी स्थापना **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act- PHRA), 1993** के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई।
 - PHRA अधिनियम को मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।
 - इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जसि मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिये अपनाया गया था।
- **संरचना:**
 - आयोग में एक **अध्यक्ष**, पाँच पूर्णकालिक सदस्य तथा सात मानद सदस्य (Deemed Members) होते हैं।
 - अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या **सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश** होता है।
- **नियुक्ति एवं कार्यकाल:**
 - अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा छह सदस्यीय समिति की सफारिशों के आधार पर की जाती है।
 - समिति में प्रधानमंत्री, **लोकसभा अध्यक्ष**, **राज्यसभा** का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में वपिक्ष के नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।
 - अध्यक्ष और सदस्य **तीन वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक** (जो भी पहले हो) पद पर बने रहते हैं।
- **भूमिका एवं कार्य:**
 - इस आयोग के पास न्यायिक कार्यवाही करने के साथ ही सविलि न्यायालय की शक्तियाँ हैं।
 - मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच के लिये केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों या जाँच एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग करने का अधिकार।
 - मामला घटित होने के एक वर्ष के भीतर मामलों की जाँच करने का अधिकार।
 - इसके कार्य की प्रकृति मुख्यतः अनुशासनात्मक होती है।

NHRC की कार्यप्रणाली में क्या कमियाँ हैं?

- **सफारिशों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति:**
 - हालाँकि NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है और सफारिशें प्रदान करता है, कति यह अधिकारियों को वशिष्ट कार्रवाई करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है। इसका प्रभाव वधिक के बजाय काफी हद तक नैतिक होता है।
 - उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने में असमर्थता:
 - NHRC के पास उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने का अधिकार नहीं है। मानवाधिकारों के हनन के अपराधियों की पहचान किये जाने के बावजूद NHRC अभ्युक्त पर सीधे जुरमाना नहीं लगा सकता या फरि पीड़ितों को राहत नहीं प्रदान कर सकता है। यह सीमा इस आयोग की प्रभावशीलता को कम कर देती है।
- **सशस्त्र बल संबंधी मामलों में सीमित भूमिका:**
 - सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में NHRC का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। सैन्य कर्मियों से जुड़े मामले अक्सर इस आयोग के दायरे से बाहर होते हैं।
- **मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी पुराने मामले में समय सीमाएँ:**
 - NHRC एक वर्ष के बाद रिपोर्ट किये गए मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों पर विचार नहीं कर सकता। यह सीमा NHRC को पुरानी अथवा वलिंबति मानवाधिकार शिकायतों का प्रभावी निपटान करने से रोकती है।
- **संसाधनों की कमी:**
 - संसाधनों की कमी NHRC के समक्ष एक अन्य समस्या है। मामलों की अत्यधिक संख्या और संसाधनों की सीमितता के कारण आयोग को जाँच, पृष्ठछाँ और जन जागरूकता अभियानों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिये संघर्ष करना पड़ता है।
 - कई राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के पद रक्ति हैं, वे इनके बिना ही कार्य कर रहे हैं और NHRC के ही सामान राज्य मानवाधिकार

आयोग में भी कर्मचारियों की कमी की समस्या बनी हुई है।

■ **स्वायत्तता का अभाव:**

- NHRC की संरचना सरकारी नयुक्तियों पर निर्भर करती है। राजनीतिक प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है, यह इस आयोग की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है।

■ **सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता:**

- NHRC अक्सर शिकायतों पर सक्रियता से प्रतिक्रिया देता है। नवारक उपायों और शीघ्र हस्तक्षेप सहित अधिक सक्रिय दृष्टिकोण इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकते हैं।

NHRC के कामकाज को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

■ **व्यापकता और प्रभावशीलता में सुधार:**

- उभरती मानवाधिकार चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये NHRC के अधिदेश का विस्तार करना। उदाहरणतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप फेक, क्लाइमेट चेंज आदि।

■ **प्रवर्तन शक्तियों प्रदान करना:**

- अपनी सफाई को लागू करने के लिये NHRC को दंडात्मक शक्तियों से सशक्त बनाना। इससे जवाबदेही और अनुपालन में वृद्धि होगी।

■ **संरचना में सुधार:**

- वर्तमान संरचना में **विविधता का अभाव** है। समग्र पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिये नागरिक समाज, कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों से सदस्यों की नियुक्ति करना।

■ **एक स्वतंत्र कैंडर का विकास करना:**

- NHRC को **संसाधन संबंधी बाधाओं का सामना करना** पड़ता है। NHRC को मानवाधिकारों में प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव वाले कर्मचारियों का एक स्वतंत्र कैंडर स्थापित करने की आवश्यकता है।

■ **राज्य मानवाधिकार आयोग का सशक्तीकरण:**

- राज्य मानवाधिकार आयोगों के बीच सहयोग, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

■ **प्रोत्साहन और जन जागरूकता:**

- प्रतिक्रियाशील प्रक्रियाओं का प्रभाव सीमित हो सकता है, अतएव नागरिकों को उनके अधिकारों को लेकर सशक्त बनाने के लिये सक्रिय रूप से जागरूकता अभियान और शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

■ **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:**

- भारत अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख सकता है। **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग कर सकता है**, उनकी प्रथाओं से सीखते हुए प्रासंगिक रणनीतियाँ तैयार कर सकता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के समक्ष आने वाली चुनौतियों और सीमाओं का विश्लेषण कीजिये। इसकी प्रभावशीलता व स्वायत्तता को बढ़ाने के लिये आप कौन से सुधार सुझाएंगे?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का नमिनलखिति में से कौन-सा/से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतबिबिति करता/करते है/हैं? (2020)

1. उद्देशिका
2. राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व
3. मूल कर्तव्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति पर वचिर कीजिये: (2011)

1. शक्ति का अधिकार
2. सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार
3. भोजन का अधिकार.

उपर्युक्त में से कौन-सा/से "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" के अंतर्गत मानवाधिकार है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरिद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिये। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-human-rights-commission-nhrc->

